न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

वाद संख्या :— 02 / 130 / 2013

<u>सरोला बनाम शिशुपाल</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 31.05.2018

Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 31.05.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 249 / 2117 / 0.84, 345 / 1.75, 239 / 0.40 है. वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 30.07.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा न करें, कार्यकाश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें, आवासीय मकान सुरक्षा दीवार, बोरिंग व कुल देवताओं के स्थान की तोडफोड न करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। इसकी पालना नहीं होने पर दिनांक 07.04.2015 को अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए परन्तु प्रार्थीगण की ओर से उक्त आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। प्रकरण वर्ष 2013 से तामील नोटिस की कार्यवाही में विचाराधीन चल रहा है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा तामील की पालना नहीं किए जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 249 / 2117 / 0.84, 345 / 1.75, 239 / 0.40 है. वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की तामील की पालना नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 31.05.2013 का प्रचलन स्थगित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)